न्यायालय तालुका विधिक सेवा(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या–02)केकड़ी
राष्ट्रीय लोक अदालत–2022 मुकाम भिनाय
प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./38/2022

1. बाबूलाल पुत्र धुला जाति कलाल निवासी कैरोट तहसील भिनाय अजमेर — प्रार्थीगण

बनाम

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीदार भिनाय जिला अजमेर — अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– शिव कुमार जोशी
2. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक– 14.05.2022

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा कैरोट पटवार क्षेत्र कैरोट भू0अ0नि0 क्षेत्र नान्दसी तहसील भिनाय के खाता सं0 363 में दर्ज खसरा नं. 2158 रकबा 0.01, ख.न. 2159 रकबा 0.98, ख.न. 2160 रकबा 0.53, ख.न. 24 रकबा 2.83, ख.न. 283 रकबा 0.44 ख.न. 52 रकबा 0.07, ख.न. 62 रकबा 0.20 और ख.न. 65 रकबा 1.15 कुल किता 08 कुल रकबा 6.21 हैं0 और मौजा कादोलाई पटवार क्षेत्र जैतपुरा भू0अ0क्षे0 नान्दसी भिनाय के खाता संख्या 191 में दर्ज खसरा नं. 213 रकबा 0.75 कुल किता 1 कुला रकबा 0.75 जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 1 जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र में जवाब प्रस्तुत कर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की खातेदारी आराजी होना स्वीकार करते हुए पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना उचित होना बताया। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया है।

प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत–2022 के तहत पेश हुआ। उपस्थित बैंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। ऐसी स्थिति में बैंच सदस्यों द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी का न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा कैरोट पटवार क्षेत्र कैरोट भू0अ0नि0 क्षेत्र नान्दसी तहसील भिनाय के खाता सं0 363 में दर्ज खसरा नं. 2158 रकबा 0.01, ख. न. 2100 रकबा 0.98, ख.न. 2160 रकबा 0.53, ख.न. 24 रकबा 2.83, ख.न. 283 रकबा 0.44 ख.न. 52 रकबा 0.07, ख.न. 62 रकबा 0.20 और ख.न. 65 रकबा 1.15 कुल किता 08 कुल रकबा 6.21 हैं0 और मौजा कादोलाई पटवार क्षेत्र जैतपुरा भू0अ0क्षे0 नान्दसी भिनाय के खाता संख्या 191 में दर्ज खसरा नं. 213 रकबा 0.75 कुल किता 1 कुला रकबा 0.75 प्रार्थीगण की खातेदारी होने से भू–अभिलेख निरीक्षक नान्दसी को राष्ट्रीय लोक अदालत की मंशानुरूप निःशुल्क मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त पड़ौसी खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सुचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.222 को बैंच सदस्यों द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास लोक अदालत में सुनाया गया।

(युवराज सिंह)
अध्यक्ष
रा0 लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

(प्रभात त्रिपाठी)
सदस्य
रा0 लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhat Tripathi
Date: 2022.10.05 15:48:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner